

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर संभाग जबलपुर
सिविल लाईन जबलपुर

क्रमांक/ /विकास7/2020/

दिनांक 25/08/2020

विज्ञप्ति

शासकीय मेडिकल कालेज छिन्दवाड़ा में अधिष्ठाता के (01) पद पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं, आवेदक म.प्र. चिकित्सा शिक्षा विभाग के 1987 के भर्ती नियम के तहत नियुक्त किया गया हो। आवेदन केवल म.प्र. शासन में स्थित शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में कार्यरत चिकित्सा शिक्षक ही पात्र होंगे।

अधिष्ठाता पद हेतु शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ एमसीआई, शासन एवं संस्था के मापदण्डानुसार रहेंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 15/09/2020 सांयकाल 05:00 बजे है, उसके पश्चात आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन आयुक्त जबलपुर संभाग, जबलपुर को संबोधित करते हुए आयुक्त जबलपुर संभाग, संभागायुक्त कार्यालय सिविल लाईन (म.प्र.) पिन कोड 482001 में व्यक्तिगत रूप से जमा अथवा डाक द्वारा भेजे जा सकेंगे।

आवेदन प्रपत्र एवं विस्तृत जानकारी महाविद्यालय वेबसाईट www.govt.medicalcollegechhindwara.com पर उपलब्ध है।

आयुक्त एवं अध्यक्ष
कार्यकारिणी समिति
शासकीय मेडिकल कालेज
छिन्दवाड़ा

अधिष्ठाता पद हेतु :-

1. आवश्यक योग्यतायें:-

1. Recognized postgraduate medical qualification and other academic qualification from a recognized institution with a minimum of 10 years teaching experience as Professor /Associate Professor / Reader in a medical, college /instt. Out of which at least five years should be as Professor in a department.

2. म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 03 वर्ष का या अधिक का विभागाध्यक्ष का कार्यानुभव।

2. अन्य योग्यतायें :-

(क) प्रेसीडेंट/आयोजन सचिव (Organizing Secretary)के रूप में राज्य, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय सेमीनार का आयोजन।

(ख) न्यायालयीन प्रकरण प्रभारी/स्थापना प्रभारी का अनुभव।

(ग) चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो।

3. अभ्यर्थियों को म.प्र. शासन द्वारा नर्सिंग होम/अस्पताल में प्रायवेट प्रेक्टिस के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। अभ्यर्थियों द्वारा किसी प्रायवेट अस्पताल/नर्सिंगहोम में अधिष्ठाता की बिना पूर्वानुमति बिजिट नहीं किया गया हो, इस संबंध में स्वघोषणा-पत्र देना होगा।

4. अभ्यर्थी का म.प्र. मेडिकल काउंसिल/मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है।

5. सेवा शर्तें-

(5.1) चयनित अभ्यर्थी की सेवार्यें शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा में प्रतिनियुक्ति पर ली जाकर उन्हें वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त होगा तथा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति के संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश आवेदक की सेवाओं पर बंधनकारी होंगे।

(5.2) चयन की दशा में नियुक्ति की अवधि में आवेदक को स्वशासी निकाय की सेवा शर्तें मान्य होंगी।

(5.3) मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता के चयन उपरान्त निजी प्रेक्टिस की पात्रता नहीं होगी।

6. वेतनमान :-

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता :- 37400-67000+10000+ शासन द्वारा समय-समय पर देय भत्ते।

7. नियुक्ति की अवधि:- चयनित अभ्यर्थी को अधिष्ठाता/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय छिन्दवाड़ा के पद पर पांच वर्षया सेवानिवृत्ति (जो भी पहले हो) के लिए मूल संस्थान से प्रतिनियुक्ति पर सेवार्यें लेकर नियुक्त किया जावेगा।

8. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगी।

• जाति संबंधी आरक्षण का लाभ सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

9. निरर्हतायें :-

- 9.1 विकृत चित्त वाला होने पर ।
 - 9.2 दुश्चरित्र होने पर
 - 9.3 शारीरिक दुर्बलता के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
 - 9.4 नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जावेगा।
 - 9.5 विवाह संबंधी:- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिये 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिये 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो, ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
 - 9.6 कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर ।
 - 9.7 कदाचरण संबंधी:- किसी भी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा यदि उसने शासन या नैतिक प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिये परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पर दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
 - 9.8 ऐसे उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन के आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं अथवा नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
 - 9.9 ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध विभागीय जांच, लोकायुक्त जांच, ई.ओ.डब्ल्यू जांच लंबित हो।
 10. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि :- कार्यालय संभाग आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर में आवेदन पत्र दिनांक/5/09/2020 को शायंकाल 5:00 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए। आवेदन पत्र डॉक द्वारा अथवा व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कराये जा सकते हैं। किसी भी स्थिति में निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
 11. पात्र अभ्यर्थियों की सूची एवं साक्षात्कार की दिनांक महाविद्यालय की वेबसाईट www.govt.medicalcollegechhindwara.com पर उपलब्ध की जावेगी ।
 12. चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्त देय नहीं होगा।
 13. साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी अपना पासपोर्ट साईज के दो रंगीन फोटो एवं समस्त दस्तावेजों की मूल प्रतियों के साथ-साथ, 02 स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी साथ लेकर अनिवार्य रूप से आवें ।
- महत्वपूर्ण टीप:-** यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि ये अपने आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवार समाप्त की जावेगी । आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच प्रचलन हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित होती हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है । यह शर्तें भी उसमें समाहित रहेंगी।

अधिष्ठाता पद हेतु आवेदन का प्रारूप

(आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि

नोट:- सभी जानकारी आवेदन द्वारा पूर्ण की जावें :-

स्व प्रमाणित

1. आवेदन का नाम :-
2. पुरुष/ महिला:-
3. पिता/पति का नाम (उप नाम सहित):-
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिन कोड सहित):-
.....
शहर का नाम:- फोन नं.
मोबाइल नंबर:- ईमेल आईडी
5. स्थायी पता:-
.....
शहर का नाम:- फोन नं.
6. आधार कार्ड नंबर:-
7. जन्म तिथि (हाई स्कूल परीक्षा की अंक सूची संलग्न करें)
8. वर्ग:- अनारक्षित, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडा वर्ग/विंकलाग:-
(आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की छायाप्रति संलग्न करें।)
9. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
अ. (एम.बी.बी.एस.) :-
ब. एमडी/एमएस :-
स. एमसीएच/डीएम :-
10. शैक्षणिक अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	शैक्षणिक अनुभव
1	प्राध्यापक	
2	सह-प्राध्यापक	
3	सहायक प्राध्यापक	
4	ट्यूटर/प्रदर्शक	

11. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्व प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

1. एमबीबीएस एवं एमडी/एमएस/एमसीएच/डीएम की डिग्री एवं मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन प्रमाणपत्र।
2. आधार कार्ड।
3. विभागाध्यक्ष के पद का कार्य अनुभव प्रमाणपत्र।
4. अधिष्ठाता की पूर्व अनुमति के बिना किसी प्रायवेट अस्पताल में प्रेक्टिस/विजिटिंग न करने संबंधी स्व घोषणा पत्र।
5. प्रेसिडेंट/आयोजन सचिव (Organizing Secretary) के रूप में राष्ट्रीय अथवा अन्तरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस/सेमिनार का आयोजन।
6. कॉलेज में लीगल सेक्सन एवं स्थापना प्रभारी के कार्य का अनुभव।
7. चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में पुरस्कृत किया गया हो।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर

स्थान:-

दिनांक:-

//घोषणा - पत्र//

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ के मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है।
जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/ नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

मेरे विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई विभागीय जांच,
लोकायुक्त जांच अथवा ई.ओ.डब्ल्यू जांच प्रचलन में नहीं है।

मैं प्रमाणित करता/करती हूँ के मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा
न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में
विचाराधीन है।

म.प्र. स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय शैक्षणिक आदर्श सेवा नियम 2018 मुझे पर पूर्णरूपेण
बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर